संख्या:25/2026/501/35-4-2026/35-4002(003)/8/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्तसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 28 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके **पत्र सं0-308/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026 के संदर्भ में** मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-आजमगढ़में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों कीरू. **2556.54**लाख (रूपये **पच्चीस करोड़ छप्पन लाख चौवन हज़ार**मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.**1223.00** लाख (रूपये **बारह करोड़ तेईस लाख**मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	गोपालपुर शाहपुर मार्ग से समदी पुलिया से ग्रामसभा धनेश दुबे डीह स्थान होते हुए धनेश दुबे गाँव तक खण्डजा से लेपन का कार्य।	950	41.48	20.00	ग्रा0अ0वि0
2	ग्रामसभा मदियापार नहर की पटरी से मिश्रौलिया गांव तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	550	43.38	21.00	ग्रा0अ0वि0
3	ग्रामसभा बड़सरा आईमा में लालचन्द्र राम के घर से प्राथमिक विद्यालय तक लेपन का कार्य।	1700	77.53	37.00	ग्रा0अ0वि0
4	ग्रामसभा चॉदपुर देवराज के घर से इन्द्रभूषण के घर से होते हुए विध्याचल पाण्डेय के घर से राम जी पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का कार्य।	750	41.20	20.00	ग्रा0अ0वि0
5	ग्रामसभा किशुनदासपुर अशोक त्रिपाठी के घर से रत्नाकर दीक्षित के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का कार्य।	500	40.58	19.00	ग्रा0अ0वि0
6	ग्रामसभा जल्लूपुर अम्बेडकर मूर्ति से ग्रामसभा बलई फरेन्दा खडण्जा तक लेपन कार्य।	650	54.42	26.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7	ग्रामसभा भटौली डीह बाबा के स्थान से शेरपुर गद्दी के पुरा तक मिट्टी लेपन का कार्य।	830	41.95	20.00	ग्रा0अ0वि0
8	कप्तानगंज कोइनहा मार्ग किमी0 1 से ग्रामसभा खासबेगपुर हरिजन बस्ती होते हुए निषाद बस्ती तक 15 किमी० खडण्जा से लेपन कार्य।	2500	127.81	61.00	ग्रा0अ0वि0
9	तहसील निजामाबाद में अधिवक्ता कक्ष के निर्माण का कार्य।	1 नग	38.16	18.00	ग्रा0अ0वि0
10	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम पंचायत कनेरी में पचकुईया बाग से दिनेश पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	51.04	24.00	ग्रा0अ0वि0
11	विकास खण्ड अहरौला ग्राम गहजी में नहर पिच से गहौर पुल होते हुए रकब तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	835	79.86	38.00	ग्रा0अ0वि0
12	विकास खण्ड अहरौला ग्राम बनहर मयचक गजड़ी महुवारा में अरविन्द राजभर के घर से बजरग बली के मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	460	42.92	21.00	ग्रा0अ0वि0
13	विकास खण्ड अहरौला ग्राम पंचायत पक्खनपुर बाबा पालदास की कुटी से लेकर समशानघाट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	385	27.67	13.00	ग्रा0अ0वि0
14	विकास खण्ड पवई ग्राम पहाडपुर पारसनाथ राजभर के घर से पुनपुन गौड़ के चक तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	310	27.48	13.00	ग्रा0अ0वि0
15	विकास खण्ड पवई ग्राम पहाडपुर रामहरख मिश्रा के घर से हीरालाल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	510	38.15	18.00	ग्रा0अ0वि0
16	विकास खण्ड पवई ग्राम दश्रवल विनोद शर्मा के घर से रमेश राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	160	15.61	7.00	ग्रा0अ0वि0
17	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम पंचायत मक्खापुर में कन्हैया की दुकान से सकलदेव यादव के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण निर्माण कार्य।	385	29.03	14.00	ग्रा0अ0वि0
18	विकास खण्ड पवई ग्राम पूरारामजी में माहुल निजामपुर लिक रोड से मंशु गौतम के घर से होते हुए सरकारी सुलभ शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	510	37.95	18.00	ग्रा0अ0वि0
19	विकास खण्ड पवई ग्राम सौदामा में मस्जिद से रामनाथ कहार के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	510	43.16	21.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

20	विकास खण्ड पवई ग्राम सौदाम में लिंक रोड से श्री राम शुक्ला के घर से रमाकान्त मिश्रा के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	510	38.06	18.00	ग्रा0अ0वि0
21	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम गोबरहा में हरिजन बस्ती से लेकर नदी तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	400	36.03	17.00	ग्रा0अ0वि0
22	विकास खण्ड फूलपुर ग्राम भोरमउ में मार्टिनगंज रोड से समा माई स्थान होते हुए लालदेव रामरतन राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	500	37.67	18.00	ग्रा0अ0वि0
23	विकास खण्ड पल्हना में ग्राम सभा कटाई सचिवालय से पवनी कला पासवान बस्ती जयनगर पल्हना मार्ग तक इण्टरलाकिंग नव निर्माण का कार्य।	1295	75.18	36.00	ग्रा0अ0वि0
24	विकास खण्ड मैंहनगर में ग्राम सभा जियासड़ में नन्नदलाल सिंह के दुकान से राघव के दुकान तक ढक्कनदार नाला नव निर्माण का कार्य।	800	25.98	12.00	ग्रा0अ0वि0
25	ग्रामसभा लोहरा विकास खण्ड अतरौलिया में मेन हाइवे रोड से श्री रामाश्रय मौर्या के घर होते हुए श्री देवनरायन सिंह के घर की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	480	41.07	20.00	ग्रा0अ0वि0
26	ग्रामसभा एकड़गी बिहारपुर विकास खण्ड कोयलसा में पिच रोड से श्री प्रेम प्रकाश के घर होते हुए पिच रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	510	46.96	23.00	ग्रा0अ0वि0
27	ग्राम सलारपुर मेन रोड से मंझरिया पिच रोड तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	800	44.78	21.00	लो0नि0वि0
28	ग्राम विषहम में अबूसाद के घर से गौहर के खेत तक नवनिर्माण कार्य।	1000	52.57	25.00	लो0नि0वि0
29	विकास खण्ड सठियांव में ग्रामसभा सठियांव (डिधिया) सी०सी० रोड अजय के भट्ठे से गुलाब यादव के घर होते हुए विश्वकर्मा बस्ती एवं हरेन्द्र यादव के आगे घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	450	36.21	17.00	ग्रा0अ0वि0
30	विकासखण्ड सठियांव में ग्रामसभा केरमा में (पकवाइनार) शिवमन्दिर होते हुए दिनेश चौहान के खेत के आगे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	500	39.99	19.00	ग्रा0अ0वि0
31	विकासखण्ड जहानागंज में ग्रामसभा अमदही में बदरीराम के घर से लल्लन राम के घर होते हुए नुरुलहुसैन के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	500	39.88	19.00	ग्रा0अ0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

32	ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम सिसरेड़ी में अनुसूचित बस्ती पीच रोड से परसौली पिच रोड तक पीच रोड का निर्माण कार्य।	1000	46.58	22.00	ग्रा0अ0वि0
33	ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम-बेलऊ में अनु० बस्ती में श्री रामरूप के घर से हजारेपुर मेंन रोड तक पिच रोड का निर्माण कार्य ।	550	22.22	11.00	ग्रा0अ0वि0
34	ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम रवनिया में श्री करिया यादव के घर से पारा पिच रोड तक पीच रोड का निर्माण कार्य।	800	31.56	15.00	ग्रा0अ0वि0
35	वि०ख० अजमतगढ़ में ग्राम पंचायत विशुनपुर के पनशब्दा में विपिन सिंह के मूर्गी फार्म से बस्ती तक इंटरलॉकिंग कार्य।	610	44.86	22.00	ग्रा0अभि0वि0
36	वि०ख० अजमतगढ़ में दाम महुला के दाड़ी में बन्धे से रामाश्रय यादव (सहपुरा) के घर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	580	53.05	25.00	ग्रा0अभि0वि0
37	ग्रामसभा सिधारी विकासखण्ड-पल्हना में राजाराम (अम्बेडकर विद्यालय) से गांव के अन्दर होते हुए पिच तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	600	50.60	24.00	लो0नि0वि0
38	ग्रामसभा विजयीपुर विकासखण्ड-मेहनगर में सामू यादव के घर से नई पिच रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	600	50.93	24.00	लो0नि0वि0
39	विकास खण्ड बिलरियागंज ग्रामसभा सियरहा में पिच रोड अनिल चौरसिया के घर से इण्टरलाकिंग की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	32.66	16.00	ग्रा0अ0वि0
40	विकास खण्ड महराजगंज में ग्रामसभा देवारा त्रिपुरारपुर आइमा के सिवान पर लल्लन के घर से भगोला के घर की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	34.25	16.00	ग्रा0अ0वि0
41	विकास खण्ड महराजगंज में ग्राम सभा बढियाचक के बीबीपुर गाँव में नागेन्द्र यादव के घर के पास कुड़ी की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	525	33.54	16.00	ग्रा0अ0वि0
42	ग्रामसभा सिपारपट्टी खालिसपुर विकास खण्ड अतरौलिया में पिच रोड से श्री प्रभु यादव के घर होते हुए सी०सी०रोड तक इण्टरलाकिंग।	510	45.94	22.00	ग्रा0अ0वि0
43	ग्रामसभा सुखीपुर विकास खण्ड अतरौलिया में श्री ओम प्रकाश तिवारी के घर से श्री रामबदन गुप्ता के खेत की तरफ इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	495	43.63	21.00	ग्रा0अ0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

44	ग्राम जीयनपुर कोठरा ग्राम सचिवालय से साधन सहकारी समिति मार्ग पर लेपन कार्य पिच सड़क निर्माण कार्य।	400	23.03	11.00	ग्रा0अ0वि0
45	ग्राम-करीमुद्दीनपुर पिच सड़क से उत्तर छोटेलाल इण्टर कालेज होते हुए बनवासी बस्ती मार्ग तक लेपन कार्य।	800	49.59	24.00	ग्रा0अ0वि0
46	ग्राम चक्रपानपुर पिच सड़क से उत्तर तरफ पप्पू यादव के घर तक नवनिर्माण का कार्य।	600	32.54	16.00	ग्रा0अ0वि0
47	विकास खण्ड-तहबरपुर ग्राम सभा-मेढ़ी भिरू की पुलिया को जो सड़क जाती है उससे पश्चिम ओर ददरा भगवानपुर को जोड़ने हेतु लेपन तक नवनिर्माण का कार्य।	900	**47.82**	23.00	लो0नि0वि0
48	ग्राम पुरा अचानक तहबरपुर बैरमपुर पिच रोड से उत्तर तरफ पुरा अचानक यादव पुरवा तक नवनिर्माण का कार्य।	1000	**57.86**	28.00	लो0नि0वि0
49	ग्राम लसडा खुर्द वि० ख०-मार्टिनगंज सुन्दरपुर कैथौली राजभर बस्ती, यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग इण्टरलाकिंग कार्य।	1400	108.41	52.00	लो0नि0वि0
50	ग्राम शेखपुर पिपरी, वि०ख० फूलपुर में मस्जिद से परमल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	200	**14.48**	7.00	लो0नि0वि0
51	ग्रामसभा शेखवलिया वि०ख०-फूलपुर में पेच रोड के पास से संतोष प्रजापति के घर से राजभर बस्ती तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	330	**23.03**	11.00	लो0नि0वि0
52	ग्रामपंचायत गोबरहा वि०ख०-फूलपुर में पिच रोड से राजाराम के घर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य। (अनुमन्य नहीं)	620	**41.48**	20.00	लो0नि0वि0
53	डीह कैथोली वि०ख० फूलपुर में पिच रोड़ से रामलखन के चक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	400	**30.53**	15.00	लो0नि0वि0
54	ग्राम खजुरा में कसेहुआ खजुरा सम्पर्क से बिछिया यादव बस्ती में चन्द्रिका यादव के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	735	36.91	18.00	ग्रा0अ0वि0
55	ग्रामसभा टोडरपुर (देवरिपुर) में रामनिवास यादव के घर से होकर काली माता स्थान से होते हुए शम्भू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	650	35.81	17.00	ग्रा0अ0वि0
56	ग्रामसभा काशीपुर में विनोद कुमार के घर से चन्द्रभान यादव के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	430	36.90	18.00	ग्रा0अ0वि0
57	ग्राम सोफीपुर राजभर बस्ती से पोखरे के मकान तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य।	1186	47.92	23.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

58	ग्राम कुम्भ मे रामजनम विश्वकर्मा के घर से रामचरीत बिन्द के घर से आगे तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य।	750	29.94	14.00	ग्रा0अ0वि0
59	ग्रामसभा सलालुद्दीनपुर के पिच रोड से ग्राम पंचायत दुवाओं वाले को जोड़ने वाले पिच रोड पर पिच निर्माण कार्य।	500	36.71	18.00	ग्रा0अ0वि0
	कुल योग	**39111**	**2556.54**	**1223.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय रू.**1223.00** लाख (रूपये **बारह करोड़ तेईस लाख**मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माणकार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:25/2026/501/35-4-2025/35-4002(003)/8/2026तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ग्रा0अ0वि0, आजमगढ़।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।